

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 06/06/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 05.06.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 05.06.2025 उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सोनु उर्फ अनीश खा पुत्र गामा खान निवासी नोनहरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष शिव मंदिर के बगल बहदग्राम फत्तेहपुर अटवा से गिरफ्तार किया गया । जिसके पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1 . सोनु उर्फ अनीश खा पुत्र गामा खान निवासी नोनहरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष आपराधिक इतिहास-

1 .मु0अ0स0 0010/2014 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 व 11 पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 थाना नोनहरा

2 .मु0अ0स0 0011/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना नोनहरा

3 .मु0अ0स0 166/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा गाजीपुर

4 .मु0अ0स0 0051/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम, 1986 थाना भावरकोल गाजीपुर

5 .मु0अ0स0 0145/2022 धारा 307 भादवि थाना भावरकोल गाजीपुर

6 . मु0अ0स0 0146/2022 धारा 3/5ए/8/5बी गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश थाना भावरकोल

7 .मु0अ0स0 0147/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर

8 .मु0अ0स0 003/2020 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 व 11 पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर

9 .मु0अ0स0 0167/2013 धारा धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 व 11 पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 थाना कोतवाली गाजीपुर

10 .मु0अ0स0 188/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम, 1986 थाना नोनहरा गाजीपुर

11 .मु0अ0स0 42/25 धारा 115(2)/131/191(2)/351(3)/352 बी0एन0एस0 थाना नोनहरा गाजीपुर

12 . मु0अ0स0 0164/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा गाजीपुर

बरामदगी-

1 .एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व एक अदद नाजायज जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

02. अभियुक्त सुधीर राय उर्फ बबलू पुत्र स्व0 विश्वनाथ राय निवासी बेटावरकला थाना जमानियां जनपद गाजीपुर उ0प्र0 को दि प्रिवेंशन आफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्राफिक सब्स्टेन्सेज एक्ट-1988 की धारा 3(1) के तहत निरुद्ध किया गया ।

संख्या-308/01/2025-सी0एक्स0-5(पिट-एनडीपीएस) दिनांक 03.06.2025 के द्वारा अभियुक्त सुधीर राय उर्फ बबलू पुत्र विश्वनाथ राय निवासी बेटावर कला थाना जमानियां जनपद गाजीपुर उ0प्र0 को मादक एवं मनोत्तेजक पदार्थों अवैध व्यापार प्रतिषेध अधिनियम की धारा 1988 की धारा 3(1) अधीन निरुद्ध किया गया । अभ्यस्थ गिरोहबन्द अपराधी व थाना जमानियां गाजीपुर में पंजीकृत हिस्ट्रीशीटर है, पूर्व में मादक पदार्थ (हेरोइन) की व्यापक अवैध तस्करी जैसी जघन्य संघटित अपराध कारित किये गये ।

अभियुक्त सुधीर राय उर्फ बबलू पुत्र स्व0 विश्वनाथ राय निवासी बेटावर कला थाना जमानियां जनपद गाजीपुर का आपराधिक इतिहास:-

1 .मु0अ0सं0-715 धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सुहवल जनपद गाजीपुर । (500 ग्राम हेरोइन व 01 अदद पिस्टल 32 बोर एवं 02 मैग्जीन)

2 .मु0अ0सं0-09/2023 धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर । (1124 ग्राम नाजायज हेरोइन, 04 लीटर एसीटिल क्लोराइड)

3 .मु0अ0सं0-31/2024 धारा 08 एनडीपीएस एक्ट थाना जमानिया जनपद गाजीपुर । (512 ग्राम नाजायज हेरोइन)

4 .मु0अ0सं0-126/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ।

03. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लाये गये अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल , 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 09.05.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 326/2025 धारा 3(5), 109 बी0एन0एस0 मे वांछित अभियुक्त शिवम राय पुत्र विनोद राय निवासी अमरूपुर थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर हालपता शाहफैज की गली थाना कोतवाली जनपद

गाजीपुर माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जिला कारागार में निरुद्ध था । जिसे आज दिनांक 05.06.2025 को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में लेकर पूछताछ किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल मय खोखा कारतूस नाल में फँसा हुआ व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर उक्त मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद पिस्टल .032 बोर , 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 177/2023 धारा 504,506,507 भादवि थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर

02. मु0अ0सं0 326/2025 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर